तारीख हुक्म	**रमेश कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर)** सू.अ.अपील संख्या 268 / 2022	न. व तारी अहकाम इस हुक्म तामील जारी हु
30.09.22	अपीलार्थी रमेश कुमार निवासी मकान न. 103, गली न. 01, श्याम नगर, पाल लिंक रोड़, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2022 में उसके द्वारा जोधपुर के त्रिपोलिया बाजार में स्थित दुकानों के संबंध में (1) विस्तार के लिए कितनी दुकानें आवंटित है (2) अन्य बिन्दूओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टरी–प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। तथ्यात्मक रिपोर्ट में बतलाया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर नगर निगम–उत्तर, जोधपुर से संबंधित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कार्यालय नगर निगम–उत्तर को जरिये पत्र क्रमांक सू.अ.अ./प्रा.स. 288/2022/807 दिनांक 17.06.2022 को अंतरित कर दिया गया था जिसकी प्रति प्रार्थी को भी प्रदान की गई। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने से इस स्टेज पर अपील निरस्त योग्य है। अतः अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	